Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 07-03-2006

Participants : Kripalani Shri Srichand

an>

Title : Issue regarding non-implementation of granting allowance and other facilities by the Government to the Rural Bank employees and officers as per the 8th Bilateral Wages Agreement.

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विाय की ओर दिलाना चाहता हूं।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 31.01.01 व 07.03.2002 के फैसलों में स्पट निर्देशों के उपरांत भी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आठवीं द्विपक्षीय वेतन समझौता व अधिकारी समझौते दिनांक 02 जून, 2005 के अनुरूप आज तक भत्ते व अन्य सुविधाएं लागू नहीं की गई हैं।

राट्रीय कृाि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में प्रवर्तक बैंकों के प्र ातिनिधियों की बैठक दिनांक 27.01.06 में लिये गये फैसले जिसके अनुसार अन्य भत्ते व सुविधाओं में कटौती की अनुशंसा कर वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय लागू किये जाने की दशा में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवमानना होगी व सरकार द्वारा स्थापित समानता के साथ खिलवाड़ के साथ-साथ सरकार के स्वयं आदेश दिनांक 17.04.02 से विरोधावासी होगा।

भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठनों आल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स एवं आफिसर्स आर्गेनाइजेशन द्वारा प्रवर्तक बैंकों ने इस कदम का विरोध का निर्णय लिया गया है। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में राज्य भर से लगभग 600 कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा नाबार्ड, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा, जयपुर थार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन व रैली निकाल रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसलों को लागू किया जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Tapir Gao -- not present

Shri Virendra Kumar